न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>प्रकरण संख्या– 29/2022</u>

1. श्रवण पुत्र धनपतराम जाति जाट ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रावती पत्नि धनपत जाति जाट ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रतनपुरा तहसील नोहर।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1
श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–3

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 05/02/2024

अपीलांट श्रवण पुत्र धनपतराम जाति जाट ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा विरूद्व नामान्तरण आदेश दिनांक 25.05.2022 नामान्तरण संख्या 845 रोही मौजा चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर बअदालत तहसीलदार राजस्व अपास्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नामान्तरण आदेश दिनांक 25.05.2022 प्रकरण सं. 845 रोही मौजा चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर के गैर कानुनी ढंग से विधि की अवहेलना में पारित है जो अपास्तनीय है।
2. रोही मौजा चक 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर का अन्य चको की भूमि के साथ पैतृक भूमि होने व सहदायकी भूमि होने के लिए पूनम बनाम धनपत वाद व दरख्वास्त धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण सं. 118/2017 प्रस्तुत [illegible] में प्रार्थीया पूनम के पक्ष में स्थगन आदेश जारी हुआ। तत्पश्चात् विपक्षीगण हाजिर [illegible] वाद उक्त धारा 212 आर.टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2012 को [illegible] लिया गया है तथा उक्त [illegible]न की अवहेलना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। मातहत अदालत में समक्ष स्थगन रेस्पो. स. 2 को प्रस्तुत किया गया था उन्होने बिना जांच किये गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. रोही मौजा चक 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर के प.न. 336/398 मु.न. 6 के किला नं. 21/1 की 0.227 हैक्टेयर भूमि किला नं. 21/2 की 0.0260 हैक्टेयर कुल 2 किता की 0.2270 हैक्टेयर नहरी व गै.मु. खाला 0.0260 हैक्टेयर प.न. 336/399 मु.न. 8 के किला नं. 4/1 की 0.2280 हैक्टेयर 4/2 की 0.0250 हैक्टेयर गै.मु. खाला, 5/1 की 0.2020 हैक्टेयर किला नं. 5/2 की 0.0250 हैक्टेयर किला नं. 5/3 की 0.0260 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता किला नं. 7 की 0.2530 हैक्टेयर प.न. 337/399 मु.न. 9 के किला नं. 1/1 की 0.2280 हैक्टेयर, 1/2 की 0.0250 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता व 2/2 की 0.0250 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता कुल 4 किता की 0.4560 हैक्टेयर भूमि गै.मु. रास्ता 0.0500 हैक्टेयर कुल 12 किता की 1.5180 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर S.B. CIVIL FIRST APPEAL NO. 610/2019 बअनवानी श्रवण बनाम विक्रम आदि में दिनांक 18.12.2019 पर उपरोक्त वाद भूमि पर स्थगन आदेश जारी हुआ था तथा उक्त स्थगन के रहते रेस्पो. सं. 3 ने रेस्पो. 1 को भारी कृषि ऋण देकर रेस्पो. सं. 2 के से अपीलाधीन नामान्तरण परस्पर मिलीभगत करके करवाया है, जो विधि की स्पष्ट अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

4. माननीय राज. उच्च न्यायालय में निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2019 न्यायालय अतिरिक्त सैशन एवं जिला न्यायाधीश नोहर प्रकरण सं. 33/2018 श्रवण बनाम विक्रम व अन्य के विरूद्व अपील सं. 610/2019 बअनवानी श्रवण बनाम विक्रम आदि प्रस्तुत की गई है तथा उक्त अपील में दिनांक 18.12.2019 को स्थगन आदेश पारित है अपीलाधीन नामान्तरण की भूमि उक्त अपील में वर्णित व अन्तर्वलित है। उक्त भूमि पर स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित था। मातहत अदालत उक्त स्थगन के रहते पाबन्द व विवधित थी कि राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने भूमि को रहन ना करे, फिर भी रेस्पो. स. 1 ता 3 ने जानबुझकर माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय की अवहेलना में अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया है, जो अपास्तनीय है।

5. वाद भूमि पैतृक है तथा उक्त भूमि पर माननीय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर द्वारा दिनांक 08.05.2018 को राजस्थान रिकार्ड व मौका की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय हनुमानगढ़ के यहा धनपत बनाम पूनम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट पेश हुई जो खारिज हो गई, इसलिए एस.डी.ओ. कोर्ट नोहर [illegible] स्थगन आदेश अन्तिम था। मातहत अदालत ने उक्त समस्त [illegible] करके वाद भूमि का ऋण भार सृजित गैर कानूनी ढंग से किया है तथा अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं. 845 दिनांक 25.05.2022 रोही मौजा चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर बअदालत श्रीमान् तहसीलदार राजस्व नोहर को अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:53:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री मदनमोहन जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या –03 की ओर से अशोक शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

हमनें दोनों पक्षों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये प्रश्नाधीन नामान्तरण पारित कर दिया। अतः उक्त नामान्तरण खारिज योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और प्रश्नाधीन नामान्तरण खारिज किया जाता है एंव तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड की जाकर निर्देशित किया जाता है कि पुनः सुनवाई कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जा कर आज दिनांक 5.2.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested